



प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनुसचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10**लखनऊ: दिनांक 18-03-2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों/सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढीकरण योजना के चालू कार्य पर धनावंटन के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, (बजट 'क' वर्ग) लखनऊ के पत्र संख्या-19969/CE-HQ1/PRYTN/BAN/2025-26, दिनांक 12-03-2026 एवं पत्र संख्या-19979/CE-HQ1/PRYTN/AGR/2025-26, दिनांक 12-03-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों/सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत बांदा क्षेत्र के जनपद बांदा का 01 एवं मुरादाबाद क्षेत्र के जनपद बिजनौर के 01 अर्थात् कुल 02 चालू कार्यों पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 67.28 लाख (रूपये सड़सठ लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक/ बचत/बचत उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	नि.ख.-1 बांदा	बदौसा-फतेहगंज मार्ग	145.75/ 145.75 0.16/ 145.59	138.31	7.28
2	प्रा.ख. बिजनौर	जनपद बिजनौर में बालावाली किरतपुर नहटौर चान्दपुर फीना मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं०-170 डब्लू) पर उ०प्र० एवं उत्तराखण्ड सीमा पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	123.85/ 123.85 / 4.51/ 119.34	0.60	60.00
		योग-			67.28

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
- प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वकर्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त/ रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्धों में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (6) उक्त कार्यों में यदि लागत में अनुरक्षण पर व्यय सम्मिलित है तो अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान धनाबंटन के क्रम में व्यय नहीं किया जायगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 67,28,000 (रुपये सड़सठ लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025/2026 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371349** प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों / सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य **मानक मद 24** वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त)/जिलाधिकारी।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/11/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।